न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 124 / 2017 (223 आर.टी.एक्ट)

जी.सी.एम.एस .संख्याः– 2017 / 00053

उनवान

1. संजेश पुत्र सौनारायण
2. रामौतार पुत्र सौनारायण
3. बबलू पुत्र सौनारायण
4. कमला पत्नि सौनारायण

जाति माली निवासी मलारना डूंगर तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।

...अपीलांटस।

बनाम

1. सोराम पुत्र जगन्या जाति माली निवासी मलारना डूंगर तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।
2. सीताराम पुत्र जगन्या जाति माली निवासी मलारना डूंगर तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।
3. किस्तूरी पत्नि जगन्या जाति माली निवासी मलारना डूंगर तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।
4. रामकुंवार पुत्र कन्हैया दत्तक पुत्र गोपी।
5. गंगाधर पुत्र भोरया (फौत)
6. लछमा पत्नि भोरया (फौत)

   5 व 6 / 1. रामधन
   5 व 6 / 2. मोतीलाल
   5 व 6 / 3. जयराम

   पिसरान स्वर्गीय गंगाधर निवासी मलारना डूंगर तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।

7. रामफूल पुत्र पांच्या
8. प्रहलाद पुत्र पांच्या
9. फैलू पुत्र मिश्रया
10. फूल्या पुत्र मिश्रया
11. सौनारायण पुत्र मिश्रया (फौत)
    - 11 / 1. प्रेमराज
    - 11 / 2. राजेश
    - 11 / 3. पुखराज
    - 11 / 4. शंकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

11/5. हंसराज
11/6. बनवारी
11/7. नरेश
पिसरान जाति मालियान निवासी मलारना डूंगर सैनीपुरा तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।
11/8. श्रीमति कमला बेवा सोनारायण
जाति मालियान निवासी मलारना डूंगर सैनीपुरा तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।
12. कजोड पुत्र मांग्या
13. धोली पत्नि नन्दकिशोर
14. लड्डू पुत्र धन्ना
15. कैलाश पुत्र धन्ना
16. गोपाल पुत्र धन्ना
17. छोटू पुत्र धन्ना
18. रामसहाय पुत्र धन्ना
19. अर्जुन पुत्र रामहेत
20. राजाराम पुत्र रामहेत
21. नानगी पत्नि रामहेत
22. मनभर पत्नि बृजमोहन
23. केशन्ती पत्नि गिर्राज
24. बच्चीदेवी पत्नि रामकिशन
25. बजरंगा पुत्र ग्यारस्या (फौत)
25/1. किसन पुत्र बजरंगा
25/2. जगदीश पुत्र बजरंगा
निवासी मलारना डूंगर तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।
25/3. भगन्ती पुत्री बजरंगा, पत्नि रामअवतार जाति माली निवासी कुतलपुरा मालीयान तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
25/4. मनभर पुत्री बजरंगा पत्नि लक्ष्मण माली निवासी कुतलपुरा मालीयान तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
25/5. छोटी पुत्री बजरंगा पत्नि प्रकाश जाति माली निवासी खिनी देलवार बाबा के पास तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।
25/6. नैनी पुत्री बजरंगा पत्नि सीताराम जाती माली निवासी चांदनोली तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

25/7. कंचन पुत्री बजरंगा पत्नि रामकिशन निवासी बौंली खिरनी रोड़ तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर।

26. रामनिवास पुत्र भोरया

27. हीरया पुत्र कन्हैया (फौत)

27/1. रामसहाय पुत्र हरिया

27/2. घनश्याम पुत्र हरिया

27/3. मु0 पांची बेवा हरिया
जाति माली निवासी मलारना डूंगर तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।

27/4. कंचन पुत्री हरिया पत्नि रामजीलाल जाति माली निवासी डांग की नारौली माली मौहल्ला तहसील सपोटरा जिला करौली

27/5. बादाम पुत्री हरिया पत्नि रामसहाय जाति माली निवासी थडी तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर।

27/6. सीता पुत्री हरिया पत्नि पप्पू जाति माली निवासी नारौली डांग तहसील सपोटरा जिला सवाई माधोपुर।

28. अम्बालाल पुत्र सुआ

29. हीरा पुत्र गोरया (फौत)

29/1. हरिकेश पुत्र हीरा निवासी मलारना डूंगर तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।

30. कल्याण पुत्र गोरया

31. मोती पुत्र मिश्रया

32. गोपाल पुत्र मिश्रया

33. रामजीलाल पुत्र जयनारायण

34. रामप्रसाद पुत्र जयनारायण

35. चिरंजी पुत्र जयनारायण

36. किशनी पुत्र जयनारायण

37. पांच्या पुत्र गोरधन

38. श्योनारायण पुत्र गोरधन
समस्त जातियान माली पेशा काश्तकार निवासी मलारना डूंगर तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।

39. लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलारना डूंगर

40. उप पंजीयक मलारना डूंगर

41. दी बैंक ऑफ बडौदा शाखा मलारना डूंगर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

42. दी बैंक ऑफ राजस्थान वर्तमान आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।
43. हरगोविन्द पुत्र हरचन्दा माली निवासी मलारना डूंगर।
44. ग्यारसी पत्नि प्रेमराज जाति माली निवासी मलारना डूंगर ।
45. मोहन पुत्र हरदेवा जाति माली निवासी मलारना डूंगर ।
46. गिर्राज पुत्र प्रभू जाति माली निवासी मलारना डूंगर।
47. रामराज पुत्र प्रभू जाति माली निवासी मलारना डूंगर।
48. सीता पत्नि रामप्रसाद।
49. शांति देवी पत्नि राधेश्याम।
50. गणेश देवी पत्नि रामचरण
समस्त जातियान मालियान निवासीयान मलारना डूंगर।

....रेस्पोडेन्टगण।

उपस्थितः–

1. श्री श्याम मोहन शर्मा अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री राधेश्याम वैष्णव अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02।

––:: निर्णय ::––

दिनांकः 17.07.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी जिला मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर में दायर राजस्व वाद संख्या 41/2011 बउनवान राजेश वगैरह बनाम सोराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 07.12.2017 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने दावा इस आशय का पेश किया है कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। वादीगण के बाबा सुन्दर पुत्र काना के दो पुत्र बडा जगन्या व छोटा श्योनारायण थे जो दोनों ही फौत हो चुके हैं। श्योनारायण के तीन पुत्र राजेश रामोतार बबलू है तथा जगन्या के दो पुत्र सोराम व सीताराम है। वादीगण के पिता की उम्र कम थी तथा वादीगण के बाबा की मृत्यु हो चुकी थी। बडा पुत्र होने के कारण प्रतिवादी नं० 1 व 2 के पिता जगन्या का नाम राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों की गलती से वारिसान की जांच किए बिना ही लिख दिया गया जो राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज है। खाता संख्या 157 158 159,160,161,162,163,164 कुल खाता 8 कुल रकबा 410 बीघा 6 विस्वा ग्राम मलारना डूंगर बी में संयुक्त रूप से वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 लगायत 3 का 1/17 हिस्सा है। इस हिस्से में वादीगण का व प्रतिवादीगण का 1/34–1/34 हिस्सा है। उक्त भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक एवं कब्जे काश्त की भूमि है। दिनाक 11.11.2011 को वादीगण सर्वप्रथम यह जानकारी हुई कि विवादित अराजीयात मे अपीलांट /वादी का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही है। अतः दावा पेश कर निवेदन किया कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर खाता संख्या 157 158 159, 160, 161 162 163,164 कुल खाता 8 कुल रकबा 410 बीघा 6 विस्वा ग्राम मलारना डूंगर की में वादीगण व प्रतिवादीगण को को 1/34, 1/34 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा भूमि राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार वादीगण के नाम दर्ज की जावे।

प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 ने जबाब दावे में अंकित किया है कि वादीगण द्वारा यह वादपत्र प्रतिवादीगण को हैरान व परेशान करने के लिए पेश किया गया है। वादीगण के पिता जगना तथा प्रतिवादीगण के पिता श्योनारायण दोनों सगे भाई थे। दोनों फौत हो चुके हैं। वादीगण के पिता ने अपने हिस्से की भूमि प्रतिवादीगण के पिता को रू० 60000/– में बेचान कर दी एवं जल्दी ही रजिस्ट्री कराने का आश्वासन दिया। उसके कुछ समय बाद ही वादीगण व प्रतिवादीगण के दादाजी का स्वर्गवास हो गया तो वादीगण के पिता ने प्रतिवादीगण के पिता के नाम भूमि की रजिस्ट्री कराने के बजाय अपने हिस्से में आई विरासत की उपरोक्त भूमि को विरासत नामान्तरकरण के जरिए प्रतिवादीगण के पिता के नाम लगवा दी जिससे प्रतिवादीगण के पिता को भूमि की रजिस्ट्री कराने की आवश्यकता नहीं पडी। वादीगण की नियत में खोट आ जाने की वजह से अब वादीगण ने यह दावा पेश किया है जो खारिज होने योग्य है अतः वादीगण का वादपत्र खारिज फरमाया जावे।

मातहत अदालत ने उक्त दावे मे पांच तनकीयात कायम कर तनकीवार विवेचना करते हुए दिनांक 07.12.2017 को निर्णय व डिक्री जारी पारित कर वादीगण का वाद अभिलेख से प्रमाणित नही होने के कारण खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

3. अपील मीमों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मातहत अदालत ने पारित निर्णय मे तनकी नंबर 01 को निर्णित करते हुए अपीलांटस् के दादा सुन्दर पुत्र काना के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है। जिसके अनुसार कानूनन अपीलांटस/वादीगण पैतृक संपत्ति के खातेदारी व कब्जे काश्त के बराबर बराबर संयुक्त हिस्सेदार है। अपीलांटस् के दादा सुन्दर पुत्र काना के दो पुत्र जयनारायण व सौनारायण, दादा सुन्दर के देहान्त के बाद कानूनी जायज वारिस है। जॉइन्ट टीनेन्सी के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर संयुक्त खातेदारों का अधिकार होता है। अपीलांटस् के ताउ जगन्या ने अपीलांटस् के पिता के हिस्से आराजी का नामान्तकरण भी स्वयं के नाम करवा लिया। जबकि मौके पर अपीलांटगण व रेस्पोडेन्टगण 01 ता 03 बराबर बराबर यानि 1/34–1/34 हिस्से पर काबिज काश्त हैं, इसलिए पैतृक संपत्ति

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

मे अपीलांटस का 1/34 वां हिस्सा रेस्पोडेन्ट के खिलाफ कानूनन साबित बतौर पैतृक संपत्ति होने से बखूबी साबित है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे जो रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ता 03 के पिता द्वारा गलत अंकन हुये है, उन्हे दुरूस्त करवाने बाबत् ही यह वाद प्रस्तुत किया गया था, जिस मे मातहत अदालत ने संयुक्त खातेदारी की आराजी पर कब्जा साबित नही मानकर अहम भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर मातहत अदालत का निर्णय व डिकी दिनांक 07.12.2017 को अपास्त फरमाया जावें।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. मुख्य बहस मे अधिवक्त अपीलांट ने अपील मीमों मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण के बाबा सुन्दर पुत्र काना के दो पुत्र बडा जगन्या व छोटा श्योनारायण थे जो दोनों ही फौत हो चुके हैं। जब अपीलांटस/वादीगण के दादा सुन्दर की मृत्यु हुई तब अपीलांटस् का पिता नाबालिग था, तथा बडा पुत्र होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ता 03 के पिता जगन्या का नाम राजस्व रिकार्ड मे राजस्व कर्मचारियों की गलती से बिना वारिसान की जांच किये दर्ज कर दिया जो कि विधि विपरीत है। अपीलांटस्/वादीगण तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ता 03 खाता संख्या 157 लगायत 164 कुल खाता 08 कुल रकबा 410 बीघा 06 बिस्वा वाके ग्राम मलारना डूंगर बी में बराबर–बराबर 1/34 हिस्सा बनता हैं लेकिन मात्र यह मानते हुए कि आराजी पर रेस्पोडेन्टस् काबिज है, अपीलांटस्/वादीगण का दावा खारिज कर दिया, जबकि पैतृक आराजी पर कानूनन कब्जा सिद्व करने की आवश्यकता ही नही होती है। जॉइन्ट टीनेन्सी के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर संयुक्त खातेदारों का अधिकार होता है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांटस्/वादीगण के दावे को खारिज करना विधि विपरीत साबित है अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर मातहत अदालत का निर्णय व डिकी 07.12.2017 अपास्त किया जावें।

6. जवाब बहस मे अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि उक्त आराजीयात रिकार्ड से पैतृक संपत्ति सिद्व नही है। अपीलांटस् द्वारा सुन्दर पुत्र काना के नाम की जमाबंदी ना ही अदालत मातहत मे और ना ही न्यायालय हाजा मे पेश की है। रेस्पोडेन्टगण/प्रतिवादीगण का विकय पत्र राशि 1000/– रूपये के आधार पर कब्जा है, जो कि पत्रावली मे संलग्न है। उक्त विकय पत्र के आधार पर ही नामान्तकरण रेस्पोडेन्टगण/प्रतिवादीगण के नाम तस्दीक किया गया है। रेस्पोडेन्टगण तब से लेकर आज दिनांक तक उक्त विवादित आराजीयात पर काबिज काश्त चले आ रहे है। मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय मे कोई त्रुटि नही है, निर्णय उभयपक्षकारान को

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर तनकीवार निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

7. उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावलियों में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

8. पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों व साक्ष्यों के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2017–2020 वाके ग्राम मलारना डूंगर तहसील मलारना डूंगर मे विवादित साबिक आराजीयात कुल खसरा नंबर 79 कुल रकबा 560 बीघा 13 बिस्वा गोपी पुत्र नेहन्या, भंवरा पुत्र पांच्या, दीन्या पुत्र मन्ना, **सुन्दर पुत्र काना** व पांच्या पुत्र सुखपाल, मिश्रया पुत्र सुखपाल के नाम दर्ज रिकार्ड है। (प्रदर्श–4)

परन्तु जमाबंदी संवत् 2021–2024 मे **सुन्दर पुत्र काना** के स्थान पर जगन्या पुत्र सुन्दर का अंकन अन्य सहखातेदारों के साथ किया गया है।

वादी प्रस्तुत वाद मे जो सजरा पेश किया गया है उसमे जगन्या व सोनाराम, सुन्दर के पुत्र है और प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावें के बिंदु संख्या 02 व 03 मे सजरा को स्वीकार किया गया है। अपीलांट/वादी सोनाराम के वारिस एवं रेस्पोडेन्टस्/प्रतिवादीगण के जगन्या के वारिसान है।

अर्थात् विवादित आराजीयात सुन्दर पुत्र काना की होने के कारण अपीलांट व रेस्पोडेन्टगण की पैतृक आराजीयात है। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर अदालत मातहत ने निर्मित तनकीयों की विवेचना विधि के अनुसार नही की गई है, सही विवेचना इस प्रकार हैः–

अदालत मातहत मे **तनकी 01** इस प्रकार है " आया खाता संख्या 157 लगायत 164 ग्राम मलारना डूंगर बी मे दर्ज भूमि 410 बीघा 06 बिस्वा वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक कब्जे काश्त की भूमि है। इस तनकी का सही विवेचन इस प्रकार हैः–

जमाबंदी संवत् 2017–2020 वाके ग्राम मलारना डूंगर तहसील मलारना डूंगर मे विवादित साबिक आराजीयात कुल खसरा नंबर 79 कुल रकबा 560 बीघा 13 बिस्वा गोपी पुत्र नेहन्या, भंवरा पुत्र पांच्या, दीन्या पुत्र मन्ना, **सुन्दर पुत्र काना** व पांच्या पुत्र सुखपाल, मिश्रया पुत्र सुखपाल के नाम दर्ज रिकार्ड है (प्रदर्श–4)। परन्तु जमाबंदी संवत् 2021–2024 मे **सुन्दर पुत्र काना** के स्थान पर जगन्या पुत्र सुन्दर का अंकन अन्य सहखातेदारों के साथ किया गया है। उपुर्यक्त राजस्व रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि संवत् 2017–2020 विवादित आराजीयात अपीलांट व रेस्पोडेन्टगण के पूर्वज सुन्दर पुत्र काना की साबित है। पैतृक आराजीयात पर सभी उत्तराधिकारियों को जन्म से कब्जा व स्वामित्व होता है। विवादित आराजीयात पक्षकारान की पैतृक व कब्जे काश्त की भूमि है। अदालत मातहत द्वारा यह निष्कर्ष की अपीलांट/वादीगण का विवादित आराजीयात पर कब्जा नही है, गलत व्याख्या की गई है। जबकि जैसाकि पूर्व मे

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

उल्लेखित किया जा चुका है पैतृक आराजीयात पर सभी सहदायिकों/उत्तराधिकारियों का कब्जा माना जाता है। इस कारण यह तनकी अपीलांटगण/वादीगण के हक मे निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 03 :– आया वादीगण भूमि पैतृक होने के कारण वर्णित भूमि मे 1/34 हिस्से की खातेदारी अपने नाम घोषित कराने व इन्द्राज दुरूस्ती कराने का अधिकार है ? इस तनकी का सही विवेचन इस प्रकार है :–

जैसाकि तनकी नंबर 01 के विवेचन मे स्पष्ट किया जा चुका है कि पैतृक संपत्ति है और पैतृक संपत्ति मे पूर्वज सुन्दर पुत्र काना के दुसरी पीढी के वारिस अपीलांटगण व रेस्पोडेन्टगण है। विवादित आराजीयात पैतृक संपत्ति होने के कारण रेस्पोडेन्टगण के साथ–साथ अपीलांटगण का 1/2 हक हिस्सा निहित होने के कारण विवादित आराजीयात मे 1/34 हिस्से के खातेदारी अपने नाम घोषणा कराने व दुरूस्त कराने के अधिकारी है। यह तनकी भी अपीलांटगण/वादीगण के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 04 :– आया वादी के पिता व प्रतिवादीगण के पिता अपने दादाजी के समय से ही अलग अलग रहते थे एवं दादाजी की मृत्यु के करीब 3 माह पूर्व वादीगण के पिता ने अपना 1/2 हिस्सा की भूमि प्रतिवादीगण के पिता को 60000–/ रूपये मे विक्रय कर दी एवं रजिस्ट्री करने के बजाय विरासत के समय भूमि प्रतिवादीगण के पिता के नाम दर्ज करवा दी।

तनकी का सही विवेचन इस प्रकार हैः– रेस्पोडेन्टगण/प्रतिवादीगण के तन्हा नाम नामान्तकरण वर्ष 1965 के बाद रोटेशन जमाबंदी 2021–2025 वाके ग्राम मलारना डूंगर मे हुआ है।

प्रथमः– पत्रावली मे ऐसा कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज नही है जो यह साबित कर सके कि ऐसा कोई संव्यवहार हुआ है। भारतीय पंजीयन अधिनियम मे किसी भी स्थायी संपत्ति की 100 रूपये से कीमत अधिक होने पर उसका पंजीयन होना अनिवार्य है। इसके अभाव मे क्रेता को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार उत्पन्न नही होता है।

द्वितीयः– नामान्तकरण केवल एक लगान निर्धारण प्रक्रिया है परन्तु यह खातेदारी अधिकार उत्पन्न नही करता है। इस कारण नामान्तकरण के आधार पर रोटेशन जमाबंदी 2021–2025 वाके ग्राम मलारना डूंगर मे एक मात्र रेस्पोडेन्टगण/प्रतिवादीगण का नाम दर्ज किया गया है वह विधि विरूद्व है। यह तनकी भी अपीलांटस्/वादीगण के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

9. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाए जाने से स्वीकार की जाती है। अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर के मुकदमा नंबर 41/2011 बउनवान राजेश वगैरह बनाम सोराम वगैरह में पारित निर्णय व डिकी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

दिनांक 07.12.2017 को खारिज किया जाता है। जमाबंदी संवत् 2017–2020 वाके ग्राम मलारना डूंगर के साबिक विवादित आराजीयात कुल खसरा नंबर 79 रकबा 560 बीघा 13 बिस्वा के हाल आराजी खाता नंबर 157 लगायत 164 कुल खाता 8 रकबा 410 बीघा 06 बिस्वा वाके ग्राम मलारना डूंगर बी के विवादित आराजीयात मे रेस्पोडेन्टगण के हिस्से की आराजीयात 1/17 मे से 1/2 हिस्से को राजस्व रिकार्ड से रेस्पोडेन्टगण की हिस्सेदारी कलमजन करने के आदेश दिए जाते है। इस 1/17 हिस्से का 1/2 हिस्सा अर्थात् 1/34 हिस्से का अपीलांटगण को रेस्पोडेन्टगण के साथ–साथ खातेदार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हो। पर्चा डिकी जारी हो।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 17.07.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner